छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2007 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण

1. (*क्र. 292) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 31-3-2007 की स्थिति में कितने प्रकरण लंबित थे तथा 15-6-2007 तक कितने लंबित है ? निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : जांजगीर-चांपा जिले में योजनांतर्गत दिनांक 31-3-2007 की स्थिति में कोई प्रकरण लंबित नहीं थे. दिनांक 15-6-2007 की स्थिति में 231 प्रकरण लंबित रहे. निराकरण कर दिया गया है.

जिला रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

2. (*क्र. 411) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिये किस स्थान पर कितनी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है ? ग्राम, खसरा एवं रकबा की जानकारी दें ? (ख) राज्य शासन ने बजट 2007-08 में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने, भवन आदि के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया है ? भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा ? (ग) मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिये राज्य शासन ने एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त करने के लिये क्या-क्या प्रयास किया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिये रायगढ़ से 2 किलोमीटर दूर ग्राम-बेन्द्राचुवा, प.ह.नं. 13, तहसील रायगढ़ स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 31, 33/1 रकबा क्रमांक 1.162 हेक्टेयर, 0.081, 0.202, 5.843, 2.080, 7.413 हेक्टेयर कुल खसरा नं. 7 कुल रकबा 16.186 हेक्टेयर है. (ख) राज्य शासन ने बजट 2007-08 में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने, भवन आदि के लिये राशि लोक निर्माण विभाग के बजट में रु. 400.00 लाख प्रावधान किया गया है. भवन निर्माण हेतु आवश्यक औपचारिकतायें प्रगति पर है. समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ग) मेडिकल कॉलेज आरंभ करने हेतु राज्य शासन की ओर से संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा वर्ष 2002 में भारत शासन एवं एम.सी.आई. को आवेदन प्रेषित किया था.

दुर्ग जिले के गांवों एवं मजरा टोलों का विद्युतीकरण

3. (*क्र. 224) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने गांव और कितने मजरा टोला अविद्युतीकृत हैं ? (ख) विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य को केन्द्र से वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सन् 2001 की जनगणनानुसार दुर्ग जिले का कोई ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है तथा उपलब्ध जनगणना विवरण, जिसमें ग्रामों के मजरों/टोलों का उल्लेख है, के अनुसार वर्तमान में 29 मजरे/टोले अविद्युतीकृत हैं. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले के ग्रामों एवं मजरों/टोलों/रिहायशी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत घरों तक विद्युतीकरण किये जाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है. योजना के क्रियान्वयन हेतु, दिये गये लक्ष्य के अनुसार योजना में शामिल सभी ग्रामों एवं मजरों/टोलों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य, वर्ष 2009 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं. (ग) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में केन्द्र से सीधे राज्य शासन को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, तथापि "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अंतर्गत उक्त अवधि में कुल 39.17 करोड़ रुपये की राशि, केन्द्र शासन द्वारा उनके संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, को उपलब्ध कराई गई है.

एकल बत्ती कनेक्शन हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण

4. (*क्र. 587) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में एकल बत्ती कनेक्शन के कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं ? (ख) कितने प्रकरण लंबित है कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्डों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विगत 02 वर्षों (2005-06 एवं 2006-07) में बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन के कुल 1866 प्रकरण (आवेदन) स्वीकृत किए गए हैं. (ख) वर्तमान में कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कसडोल एवं बिलाईगढ़ विकासखण्डों में बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है, अत: लंबित प्रकरणों के निराकरण करने की समय-सीमा बताए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज को एम. सी. आई. की मान्यता

5. (*क्र. 249) **श्री भूपेश बघेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज को एम.सी.आई. की मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या इसके कारण से इस संस्थान में प्रथम सत्र में प्रवेश पाये छात्रों को डिग्री नहीं मिल पा रही है ? (ख) यदि हां, तो मान्यता नहीं मिलने का कारण क्या है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) की एम.बी.बी.एस. प्रथम से लेकर अंतिम वर्ष की परीक्षा एम.सी.आई. द्वारा मान्य है, किन्तु उपाधि मान्यता संबंधी प्रकरण एम.सी.आई. के विचाराधीन है. एम.बी.बी.एस. उपाधि की मान्यता प्राप्त होते ही प्रथम वर्ष में प्रवेशित एवं अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण तथा रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करने की स्थिति में संबंधित छात्रों को उपाधि नियमानुसार यथासमय दी जावेगी. (ख) एम.बी.बी.एस. उपाधि की मान्यता एम.सी.आई. नई दिल्ली के विचाराधीन है. मान्यता हेतु विगत दिनांक 31-5-2007 को निरीक्षण किया गया है. निरीक्षण प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है. निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कारण ज्ञात हो सकेगा.

लोक सेवा आयोग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

6. (*क्र. 565) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न पदों में भर्ती हेतु आयोजित की गई परीक्षाओं में एवं उसके परिणाम के विरुद्ध कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है ? (ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 89 शिकायतें प्राप्त हुई है. (ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है. अत: आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में राज्य शासन को जांच करने या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है. आयोग द्वारा घोषित परिणाम से असंतुष्ट व्यक्ति आयोग में ही अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है अथवा उसे न्यायिक अवसर उपलब्ध है. छ. ग. लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न पदों में भरती हेतु आयोजित की गई परीक्षाओं के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं दायर की गई है, जो लंबित है. अत: इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती है. तथापि शिकायतों के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई.

1. शासन द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय से छ. ग. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक दरबारी के विरुद्ध भारत का संविधान के अनुच्छेद 317 (1) के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति को रेफेरेन्स करने हेतु अनुशंसा की गई एवं कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया. महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 24-2-2006 को महामहिम राष्ट्रपति को रेफरेन्स प्रेषित किया. महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा है. आयोग के अध्यक्ष, श्री अशोक दरबारी के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में रेफेरेन्स क्रमांक 1/2006 चल रहा है. महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 18-9-2006 द्वारा श्री अशोक दरबारी, अध्यक्ष, छ. ग. लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष के पद से निलंबित किया गया है.

2. राज्य सेवा परीक्षा, 2003 में हुई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के संबंध में श्री बी. पी. कश्यप, (मूलत: सहायक प्राध्यापक) तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है.

3. छ. ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर शिकायतों के आधार पर शासन के पत्र दिनांक 6-11-2006 द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि कार्य प्रणाली के संबंध में सतर्कता बरती जाये.

नयी कोयला खदानों की स्वीकृति

7. (*क्र. 513) **श्री रामदयाल उइके** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरबा जिले के अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा वि. खं. एवं पाली वि. खं. में कोयले की नयी खदाने खोलने की योजना प्रस्तावित एवं स्वीकृत है ? (ख) यदि हां, तो बुडबुड व सराईपाली प्रस्तावित खदानों में कौन-कौन से ग्रामों की कितनी-कितनी शासकीय एवं निजी भूमि का चयन किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एस. ई. सी. एल.) ने ''सराईपाली ओपन कास्ट परियोजना'' के लिए 693.80 एकड़ भूमि अधिगृहित किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला कोरबा, को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है. मांग की गई भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि (एकड़ में)	निजी भूमि (एकड़ में)	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	बुड़बुड़	37.87	596.43	634.30
2.	राहाडीह	2.82	56.68	59.50

फर्जी जाति प्रमाण पत्र संबंधी समिति की अनुशंसा एवं कार्यवाही

8. (*क्र. 601) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने कार्यवाही की अनुशंसा की है ? नाम, पदनाम सहित जानकारी दें ? (ख) उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में क्या दोषी कर्मचारियों के प्रकरण को महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के परामर्श के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कुल 6. नाम एवं पदनाम निम्नानुसार है :—

1. श्री पुरूषोत्तम पतवार, स्टेनो टायपिस्ट
2. श्री भुवन डेकाटे, निज सहायक
3. श्री प्रवीण कुमार निमजे, सहायक ग्रेड-2
4. श्री धन्नूदास बुरडे, निज सहायक
5. श्री राजीव अहिरे, निज सचिव
6. श्री आनंद मसीह, डिप्टी कलेक्टर (रा. प्र. से.)

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15-6-2007 में उल्लेख अनुसार प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित सभी 6 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है. कार्यवाही नहीं करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. इस संबंध में कोई नियम नहीं है. शासन द्वारा प्रकरणों में परामर्श लिया जा सकता है.

सिम्स में रिक्त पदों की पूर्ति

9. (*क्र. 51) **श्री नोवेल कुमार वर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिम्स में छात्र-छात्राओं के अध्यापन व्यवस्था हेतु कितने पद स्वीकृत हैं ? पदनाम, विभाग का नाम, रिक्त पदों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी हैं ? (ख) क्या एम.सी.आई. निरीक्षण टीम द्वारा एकेडमिक फेकेल्टी में पद रिक्त पाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है.

† परिशिष्ट ''एक''

बिलासपुर जिले में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

10. (*क्र. 479) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत में से कुल कितने पदस्थ हैं ? एवं कितने पद रिक्त हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : बिलासपुर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के कुल 281 पद स्वीकृत हैं. 145 डॉक्टर पदस्थ है. 109 पद रिक्त है.

जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

11. (*क्र. 359) **श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जननी सुरक्षा योजना कब से शुरू की गई ? कौन-कौन से वर्ग, जाति के हितग्राहियों को लाभ दिया जाता है ? (ख) राजनांदगांव जिले में विगत 2 वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज हुये एवं उनमें से कितने प्रकरणों में हितग्राहियों को लाभ दिया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1 जनवरी 2006 से. सभी जाति एवं वर्ग को. (ख) कुल 5737 प्रकरण दर्ज किये गये हैं एवं कुल 4547 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है.

नि:शक्तजनों हेतु उपकरण क्रय

12. (*क्र. 367) **श्री योगेश्वरराज सिंह :** क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कवर्धा जिला अंतर्गत नि:शक्तजनों को उपकरण वितरण हेतु कितना आवंटन वर्ष 2006-07 में प्राप्त हुआ था ? (ख) प्राप्त आवंटन राशि में से क्या-क्या उपकरण खरीदे गये ? (ग) क्या खरीदी के लिए निविदा बुलायी गयी थी ? (घ) यदि हां, तो किन लोगों से खरीदी गयी, क्या वे पंजीकृत थे ? यदि नहीं, तो क्या बिना निविदा के किन-किन से खरीदी गयी ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रुपये 6.50 लाख. (ख) ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, श्वेत छड़ी, व्हील चेयर. (ग) जी नहीं. (घ) जिले में नि:शक्तजनों के लिए उपकरण, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से पंजीकृत संस्था जे. पी. ड्रग्स रायपुर से खरीदी की गई.

ग्राम नवागढ़ का नगर पंचायत में उन्नयन

13. (*क्र. 319) **महंत रामसुंदर दास :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नवागढ़ जो विकासखण्ड मुख्यालय भी है. को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने संबंधी कार्यवाही विभाग में प्रचलित है ? यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) क्या नवागढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के रूप में उन्नयन करने हेतु नगर सीमा निर्धारण संबंधी प्रथम प्रकाशन किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसकी सीमा रेखा कहां तक तय की गयी है ? (ग) ग्राम पंचायत नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके नगर पंचायत के रूप में उन्नयन कब तक कर दिया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

ग्राम सुराज अभियान के तहत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

14. (*क्र. 436) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम सुराज अभियान 2007 के तहत रायगढ़ जिले के किन-किन स्थानों ग्रामों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों का प्रवास किस-किस दिनांक को हुआ ? (ख) माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा इन ग्रामों में किन-किन विकास व निर्माण कार्यों की घोषणा एवं स्वीकृति दी गई थी ? विकासखण्डवार ग्रामों की जानकारी देवें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 5-4-2007 को ग्राम कोटरीमाल, विकासखण्ड घरघोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री का तथा दिनांक 12-4-2007 को ग्राम लोईंग व ग्राम टारपाली विकासखण्ड रायगढ़ में माननीय मंत्री जल संसाधन एवं प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़ का प्रवास हुआ. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

भुगतान के अभाव में विद्युत लाइन काटे जाने विषयक

15. (*क्र. 106) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2007 से 15 जून, 2007 के मध्य जिला महासमुंद में बिजली बिल नहीं पटाने के कारण कौन-कौन से गांवों की संपूर्ण बिजली काट दी गई है ? नाम, विकासखण्डवार बतायें ? बकाया राशि ग्रामवार बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये गांवों में विद्युत लाइन काटने के पूर्व क्या विद्युत मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी ने संबंधित ग्रामवासियों की बैठक लेकर उन्हें विद्युत बिल भुगतान हेतु समझाईश दी थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव में कब-कब बैठक ली गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 1 जनवरी, 2007 से 15 जून, 2007 के मध्य जिला-महासमुन्द में, बिजली बिल नहीं पटाने के कारण किसी ग्राम की संपूर्ण बिजली नहीं काटी गई है, अत: विकासखण्डवार ग्रामों के नाम अथवा ग्रामवार बकाया राशि बताए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

निर्धन कन्या विवाह में प्रदत्त नकली गहनों की शिकायत पर कार्यवाही

16. (*क्र. 573) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि 19 अप्रैल, 2007 को जिला-बिलासपुर के रतनपुर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने जोड़ों का विवाह किया गया एवं उन्हें विभाग द्वारा क्या-क्या उपहार प्रदान किया गया ? (ख) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा उपहार में दिये गये गहनों के नकली होने की शिकायत जिलाध्यक्ष, बिलासपुर सहित विभाग के अधिकारियों को की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) सामूहिक विवाह में वितरित किये जाने वाले उपहारों की खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी एवं सामग्री प्रदायकर्त्ता द्वारा सामग्री प्रदान कर विभाग को देने के पूर्व क्या विभाग के अधिकारियों द्वारा उस सामग्री की जांच की गई थी ? यदि हां, तो किसने जांच की थी, यदि नहीं, तो सामग्री की जांच क्यों नहीं की गई ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जी हां. कुल 1026 जोड़ों का विवाह कराया गया. प्रदायित सामग्री की सूची †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. एक शिकायत प्राप्त हुई थी जांच की जा रही है. (ग) उपहारों के क्रय हेतु जिला स्तर पर क्रय समिति का गठन किया गया. उपहारों में प्रदाय गहनों का क्रय निविदा के माध्यम से किया गया तथा बर्तनों की खरीदी सी.एस.आई.डी.सी. दर पर की गई है. दिनांक 18-4-2007 को गहनों के प्रदाय से पूर्व सैम्पल लेकर कार्यालय में रखा गया. जिसकी जांच गोंडपारा बिलासपुर में स्थित पायल रिफाईनरी सिल्वर रिफाईनरी टेस्ट सेंटर तथा गणेश सिल्वर टेस्ट रिफाईनरी बिलासपुर में कराई गई थी.

विद्युत मापन हेतु क्रय इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की जानकारी

17. (*क्र. 581) **श्री उदय मुदलियार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत मापन हेतु इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय हेतु 1-4-2005 से 31-5-2007 के मध्य किन-किन फर्म/कम्पनियों को कितने-कितने इलेक्ट्रानिक मीटर किस-किस क्षमता के, किस-किस दर पर कितनी अवधि के भीतर सप्लाई करने हेतु प्रदाय आदेश जारी किए गए ? (ख) क्या प्रदाय किए गए इलेक्ट्रानिक मीटर में खराबी पाई गई ? अगर हां तो किन-किन फर्मों और कम्पनियों की कितनी-कितनी क्षमता के कितने-कितने इलेक्ट्रानिक मीटर में खराबी पाई गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्रय हेतु 1-4-2005 से 31-5-2007 के मध्य जिन फर्मों/कम्पनियों को प्रदाय आदेश जारी किए गए हैं, उनका विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है. (ख) जी हां. जिन फर्मों/कम्पनियों द्वारा प्रदाय किए गए इलेक्ट्रानिक मीटरों में खराबी पाई गई, उनका विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है.

---

† परिशिष्ट ''दो'' †† परिशिष्ट ''तीन'' ‡ परिशिष्ट ''चार''

मुख्य नगर पालिका अधिकारी के स्वीकृत एवं रिक्त पद

18. (*क्र. 595) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत हैं तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने रिक्त हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : प्रदेश में 28 नगर पालिका परिषद् एवं 72 नगर पंचायतें हैं. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 100 पद स्वीकृत हैं. 64 नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदस्थ हैं.

रायल्टी मद में प्राप्त राशि का आवंटन

19. (*क्र. 19) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों से प्राप्त खनि रायल्टी मद में से वर्ष 2006-07 में खनिज विभाग द्वारा बिलासपुर जिला पंचायत को कितनी राशि जमा कराई गई है ? (ख) क्या उक्त राशि को जिला पंचायत द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित करने का प्रावधान है ? (ग) यदि हां, तो प्राप्त रायल्टी मद की राशि का आवंटन किन-किन ग्राम पंचायतों को किया गया है.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों से प्राप्त खनिज रायल्टी मद में से वर्ष 2006-07 में खनिज विभाग द्वारा बिलासपुर जिला पंचायत को राशि रुपये 38,18,373.00 प्रदान की गई. (ख) जी हां. (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लिखित राशि में से जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा बिल्हा विधान सभा की ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बाल्को कम्पनी द्वारा बाक्साईट का उत्खनन

20. (*क्र. 558) **श्री अमरजीत भगत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के मैनपाट में बाल्को कंपनी द्वारा बाक्साईट उत्खनन का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने रकबे में ? निजी/शासकीय/वन भूमि की पृथक्-पृथक् जानकारी खसरा रकबा सहित ग्रामवार देवें ? (ख) उक्त क्षेत्र में कंपनी द्वारा स्थानीय विकास/रोजगार/पर्यावरण/पर्यटन/सड़क/बिजली/पानी/स्वास्थ्य/शिक्षा हेतु कब-कब कितनी राशि खर्च की गयी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. बाल्को को ग्राम कुदारीडीह, केसरा एवं सपनादर के कुल 639.169 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज बाक्साईट हेतु दिनांक 9-7-1992 से 8-7-2012 तक 20 वर्ष के लिए खनिपट्टा स्वीकृत है. कंपनी को कुल 375.452 हेक्टर क्षेत्र कलेक्टर, सरगुजा के आदेश दिनांक 19 मार्च, 1993 द्वारा कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी. वर्तमान में बाल्को द्वारा केवल 12.621 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन कार्य किया जा रहा है. जिसका खसरावार विवरण †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

कबीरधाम जिले में खनिज उत्खनन हेतु अनुज्ञा

21. (*क्र. 571) **मोहम्मद अकबर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम तहसील कवर्धा के ग्राम कवर्धा प.ह.नं. 21 एवं ग्राम तालपुर प.ह.नं. 53 (ना. तहसीलदार सहसपुर लोहारा) में किनको-किनको, कितने-कितने क्षेत्र एवं कितनी-कितनी अवधि के लिए कौन-कौन से खनिज के उत्खनन हेतु स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की गई है ? (ख) उक्त खदानों से जनवरी, 2007 से जून, 2007 तक माहवार कितना-कितना ट्रांजिट पास दिया गया ? ट्रांजिट पास के आधार पर कितनी-कितनी मात्रा में खनिज का परिवहन हुआ है? उक्त खदानों से रायल्टी के रूप में माह जून तक कुल कितनी-कितनी राशि शासन को प्राप्त हुई है ? (ग) क्या उक्त खदानों में ब्लास्टिंग हेतु विस्फोटक नियमों का पालन किया जा रहा है यदि नहीं, तो किसमें-किसमें और क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. (ग) जी हां. उक्त खदानों में विस्फोटक नियमों का पालन किया जा रहा है.

---

† परिशिष्ट "पांच" †† परिशिष्ट "छ:" ‡ परिशिष्ट "सात"

दलिया खरीदी में जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्यवाही

22. (*क्र. 473) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिना टेण्डर दलिया खरीदी के मामले में प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन ने जांच रिपोर्ट में किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया है ? (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 7-10-2004 में दिये गये निर्देशों का पालन तत्कालीन सचिव/विभागीय अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा पालन नहीं करने से पोषण आहार खरीदी में राज्य शासन को कितनी राशि का नुकसान हुआ ? (ग) जांच रिपोर्ट की अनुशंसा पर तत्कालीन सचिव महिला बाल विकास के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : (क) प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया है कि विधि विभाग से अभिमत लेते समय उक्त विभाग की महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजी गयी टीपों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका क्रमांक 196/2001 में पारित अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों का समावेश नहीं किया गया, जिसके लिये तत्कालीन सचिव/विभागीय अधिकारी महिला बाल विकास उत्तरदायी है. (ख) बिना टेंडर खरीदी के कारण शासन को किसी हानि का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में नहीं आया है. (ग) जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 22-6-2007 को पत्र जारी किया जाकर उनका स्पष्टीकरण चाहा गया है.

दुर्ग जिले एन. जी. ओ. को वितरित राशि

23. (*क्र. 225) श्री ताम्रध्वज साहू : क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में किन-किन एन.जी.ओ. को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में एन.जी.ओ. को प्रदाय की गयी राशि की जानकारी † परिशिष्ट अनुसार है.

प्रदेश में आयरनयुक्त नमक का प्रदाय

24. (*क्र. 511) श्री भूपेश बघेल : क्या राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आयरनयुक्त नमक प्रदाय करने के पूर्व विभाग द्वारा क्या कोई सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो राज्य में कितने बच्चे व महिलाएं थी जिन्हें आयरनयुक्त नमक की आवश्यकता थी ? (ख) यदि नहीं, तो किन महिलाओं तथा बच्चों को देना है इसका चिन्हांकन कैसे किया गया ? (ग) क्या यह सही है कि सिकलिंग के मरीजों को आयरनयुक्त नमक नहीं दिया जाना चाहिए ?

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जी नहीं. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित सर्वेक्षित हितग्राही गर्भवती व धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आयरनयुक्त नमक प्रदाय किया गया. (ग) जी नहीं. आयरनयुक्त नमक में लौह तत्व की सुरक्षित मात्रा दी जा सकती है.

रायगढ़ जिला चिकित्सालय में खरीदी में अनियमितता

25. (*क्र. 437) श्री नंदकुमार पटेल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में रायगढ़ जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए कुल कितनी-कितनी राशि की दवा, उपकरण एवं अन्य सामग्रियां, किस फर्म से खरीदी गई ? (ख) क्या उक खरीदी में निविदा आमंत्रण कर क्रय नियम का पालन किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी हां.

----

† परिशिष्ट "आठ" †† परिशिष्ट "नौ"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 51) के भाग (क) की जानकारी]

सिम्स में अध्यापन व्यवस्था हेतु एम. सी. आई. के मापदण्ड के अनुसार प्रोफेसर-19, रीडर-27 एवं व्याख्याता-52 पद मान्य है. विभागवार पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	विभाग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एनाटामी	प्रोफेसर	01	01
		रीडर	02	01
		व्याख्याता	03	03
2.	फिजियोलॉजी	प्रोफेसर	01	01
		रीडर	02	02
		व्याख्याता	02+01	-
3.	बायोकेमेस्ट्री	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	-
		व्याख्याता	01	-
4.	फार्माकोलॉजी	प्रोफेसर	01	01
		रीडर	01	01
		व्याख्याता	02	01
5.	पैथालॉजी	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	03	-
		व्याख्याता	03	1
6.	माइक्रोबायोलॉजी	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	-
		व्याख्याता	01	-
7.	फोरेन्सिक मेडिसीन	प्रोफेसर	01	01
		रीडर	01	01
		व्याख्याता	01	01
8.	कम्यूनिटी मेडिसीन	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	01
		व्याख्याता	06	02
9.	जनरल मेडिसीन	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	03	-
		व्याख्याता	04	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	स्कीन एण्ड व्ही. डी.	प्रोफेसर/रीडर	01	-
		व्याख्याता	01	-
11.	शिशु रोग	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	-
		व्याख्याता	04	-
12.	जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	03	01
		व्याख्याता	04	-
13.	अस्थि रोग	प्रोफेसर	01	01
		रीडर	01	01
		व्याख्याता	02	-
14.	नेत्र रोग	प्रोफेसर	01	-
		रीडर/व्याख्याता	01	-
15.	नाक, कान, गला	प्रोफेसर	01	-
		रीडर/व्याख्याता	01	-
16.	स्त्री रोग	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	-
		व्याख्याता	04	-
17.	टी. बी. चेस्ट	प्रोफेसर/रीडर	01	-
		व्याख्याता	01	01
18.	निश्चेतना	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	02	01
		व्याख्याता	04	-
19.	रेडियो डायग्नोसिस	प्रोफेसर	01	-
		रीडर	01	-
		व्याख्याता	02	-
20.	दंत रोग	प्रोफेसर/रीडर	01	01
		व्याख्याता	01	-
21.	ब्लड बैंक	रीडर	01	-
		व्याख्याता	01	01
22.	पी. एम. आर.	व्याख्याता	01	-
23.	मनोरोग	प्रोफेसर/रीडर	01	01
		व्याख्याता	01	-
		योग	98	25

एम. बी. बी. एस. में अध्ययनरत् छात्रों की सूची निम्नानुसार :-

सत्र	छात्र	छात्रा	
2001-02 (इंटर्नशीप)	47	35	82
2002-03	50	50	97 (03 विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी)
2003-04	44	56	100
2004-05	44	56	100
2005-06	40	60	99 (01 विद्यार्थी ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी)
2006-07	38	62	100
		योग	496

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 436) के भाग (ख) की जानकारी]

माननीय मुख्यमंत्री/माननीय अन्य मंत्रियों द्वारा ग्राम सुराज अभियान 2007 के दौरान रायगढ़ जिले के प्रवास पर की गई विकास एवं निर्माण संबंधी कार्यों की घोषणाओं की जानकारी

क्र.	घोषणाकर्ता	दिनांक	सबंधित ग्राम	विकासखण्ड का नाम	विकास/निर्माण संबंधी कार्यों की घोषणा का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माननीय मुख्यमंत्री	05-04-2007	कोटरीमाल	घरघोड़ा	1. ग्राम कोटरीमाल में सामुदायिक भवन (मंगल भवन)निर्माण. 2. ग्राम कोटरीमाल बस्ती में सी. सी रोड का निर्माण. 3. ग्राम कोटरीमाल में अगले सत्र से धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ. 4. ग्राम कोटरीमाल में नया तालाब एवं रायकेरा रोड तालाब का गहरीकरण. 5. काठारापाली जलाशय एवं कोटरीमाल जलाशय के गेट व नहर मरम्मत कार्य का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति एक सप्ताह के अंदर किया जाना. 6. कोटरीमाल स्थित सार्वजनिक कुंआ मरम्मत कार्य.
2.	मान. जलसंसाधन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री, जिला रायगढ़.	12-04-2007	लोईंग	रायगढ़	सपनई नहर से ग्राम तालाब को भरने हेतु
3.	मान. जलसंसाधन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री, जिला रायगढ़.	12-04-2007	टारपाली	रायगढ़	ग्रामवासियों की मांग के अनुसार ग्राम टारपाली में लघु सिंचाई तालाब की घोषणा.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 573) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 19-04-07 को आयोजित निर्धन कन्या सामूहिक विवाह में विभाग द्वारा जोड़े को दी गई सामग्री का विवरण

क्रमांक (1)	उपहार सामग्री (2)	मात्रा (3)
1.	स्टील पानी टंकी	1 नग
2.	स्टील थाली	6 नग
3.	कटोरी	6 नग
4.	गिलास	6 नग
5.	लोटा	1 नग
6.	करछुली	1 नग
7.	परात	1 नग
8.	टीन बॉक्स	1 नग
9.	टोपी, मौर कटार	1 सेट
10.	बनियान	1 नग
11.	ब्लाउज	1 नग
12.	पेटीकोट	1 नग
13.	कुर्ता-पैजामा	1 सेट
14.	पीला साड़ी	1 नग
15.	पीला चुनरी	1 नग
16.	पीला दुपट्टा	1 नग
17.	चांदी की बिछिया	1 सेट
18.	सोने की फुल्ली	1 नग
19.	चांदी का मंगलसूत्र	1 नग
20.	चांदी का झुमका	1 सेट

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 581) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	फर्म का नाम मेसर्स	निविदा क्रमांक	आदेश क्रमांक	मीटर का प्रकार व क्षमता	मीटर की संख्या	मीटर की दर (सभी कर सहित रुपये में)	आदेश में आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि: आदेशित मात्रा के प्रथम 50 प्रतिशत मात्रा हेतु	आदेश में आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि: शेष 50 प्रतिशत आदेशित मात्रा हेतु	छ. रा. वि. मं. के मैदानी कार्यालयों द्वारा खराबी पाए जाने पर क्षेत्रीय भंडारों में वापस किए गए मीटरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	लार्सन एवं टुब्रो लिमिटेड मुम्बई.	83	1040 दि. 10-05-05	एल. टी. सी. टी. मीटर 100/5 एम्पीयर	22903	5900.42	27-04-05 से 15-08-05	16-03-06 से 16-07-06	6
		102	1042 दि. 12-05-05	एच. टी. ट्रायव्हेक्टर मीटर..../5 एम्पीयर	803	7222.51	12-05-05 से 12-08-05	22-07-05 से 22-10-05	1
				एच. टी. ट्राय व्हेक्टर मीटर..../1 एम्पीयर	139	7222.51		-	...
		118	1073 दि. 04-06-05	थ्री फेस 20-100 एम्पीयर	7,169	6182.21	04-06-05 से 03-09-05	29-03-07 से 29-09-07	6
2.	सिक्योर मीटर लि. उदयपुर.	83	1041 दि. 10-05-05	एल. टी. सी. टी. मीटर 100/5 एम्पीयर	15,268	5900.42	10-05-05 से 15-08-05	21-04-06 से 21-08-06	16
		102	1043 दि. 12-05-05	एच. टी. ट्रायव्हेक्टर मीटर..../5 एम्पीयर	1205	7222.51	12-05-05 से 12-08-05	22-07-05 से 22-10-05	-
				एच. टी. ट्राय व्हेक्टर मीटर..../1 एम्पीयर	209	7222.51			
			1408 दि. 24-3-07	एच. टी. ट्राय व्हेक्टर मीटर..../5 एम्पीयर	800	7222.51	24-03-07 से 24-09-07		...
		118	1074 दि. 04-06-05	थ्री फेस 20-100 एम्पीयर	9,818	6182.21	04-06-05 से 03-09-05	29-03-07 से 29-09-07	43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	बी. एच. ई. एल. रायपुर.	89	1123 दि. 5-07-05	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	1,20,000	755.48	05-07-05 से 05-01-06	08-02-06 से 31-08-06	869
4.	जीनस ओव्हरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि. जयपुर	89	1124 दि. 5-07-05	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	1,80,000	755.48	05-07-05 से 05-01-06	19-01-06 से 31-05-06	414
				थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	34,750	2493.69	05-07-05 से 05-01-06	19-01-06 से 31-05-06	495
			1241 दि. 17-02-06	थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	8,688	2493.69	17-02-06 से 17-08-06		08
			1286 दि. 5-07-06	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	1,44,000	755.48	05-07-06 से 31-12-06		-
		177	1402 दि. 16-03-07	थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	30,000	2902.74	16-03-07 से 16-08-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	-
5.	टी. टी. एल. लिमिटेड नोएडा	89	1122 दि. 05-07-05	थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	20,850	2493.69	05-07-05 से 05-01-06	21-12-05 से 21-06-06	1137
			1242 दि. 17-02-06	थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	5,212	2493.69	17-02-06 से 17-08-06		818
6.	एमको लिमिटेड थाणे	89	1121 दि. 05-07-05	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	3,00,000	755.48	05-07-05 से 5-01-06	19-01-06 से 31-05-06	812
			1282 दि. 03-07-06	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	2,40,000	755.48	03-07-06 से 31-12-06		124
		177	1414 दि. 09-04-07	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	2,17,000	999.90	09-04-07 से 09-09-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	...
			1403 दि. 16-03-07	थ्री फेज-10-40 एम्पीयर	18,000	2902.74	16-03-07 से 16-08-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	...
7.	एच. पी. एल. सोकोमेक प्रा. लि. नई दिल्ली	177	1415 दि. 09-04-07	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	2,17,000	999.90	09-04-07 से 09-09-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	...
			1404 दि. 16-03-07	थ्री फेज 10-40 एम्पीयर	12,000	2902.74	16-03-07 से 16-08-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	लेण्डीस+ गियर लि. कोलकत्ता	177	1413 . दि. 09-04-07	सिंगल फेज 5-30 एम्पीयर	1,24,000	999.90	09-04-07 से 09-09-07	अवधि का निर्धारण बाद में किया जाएगा	-
				योग	1729814	...	...	...	4749

परिशिष्ट "पांच"
[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 19) के भाग (ग) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम पंचायतों को वर्ष 2006-07 में आवंटित राशि की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	आवंटित राशि (4)
1.	पथरिया	सल्फा	290546
		रामबोड़	402876
		मोहभट्ठा	336825
		टिकैत पेण्ड्री	26540
2.	तखतपुर	छतौना	213250
		बुटेना	10401
		बिनौरी	52769
		चिचिरदा	364894
		सकरी	37425
		बिष्यासार	29433
3.	बिल्हा	धमनी	124999
		भैसबोड़	181032
		पिरैया	21364
		चकरभठा	100299
		तेलसारा	93936
		अमेरी अकबरी	164910
		मुढ़ीपार	8982
		उमरिया	82335
		भोजपुरी (अटर्रा)	8233
		कड़ार	2435
		संबलपुरी	7485
		अमेरीकापा	47904
		कड़री (नगपुरा)	189470
		योग	2798343
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-पथरिया		563658
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-तखतपुर		417672
6.	मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी नगर पंचायत-बोदरी		38700
		महायोग	3818373

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 558) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बाल्को द्वारा 12.621 हेक्टर क्षेत्र में किये जा रहे खनन की ग्रामवार एवं खसरावार जानकारी

(हेक्टर में)

ग्राम	निजी भूमि	खसरा नंबर	राजस्व पहाड़ चट्टान	खसरा नंबर	राजस्व छोटे झाड़ जंगल	खसरा नंबर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कुदागीडीह	0.50	30/19	1.50	224/1	2.00	210/1	5.621
	0.50	30/20			0.50	92/50	
	0.50	30/21			0.121	210/10	
केसरा	2.00	127/15			0.500	127/1	3.500
	0.50	127/4					
	0.50	127/12					
सपनादर	-		-		2.00	121/4	3.500
					1.500	121/29	
कुल योग	**4.50**	**1.50**			**6.621**		**12.621**

प्रपत्र "ब"

वर्षवार विभिन्न विकास मद में खर्च की गई राशि का विवरण

(Amount in Rs.)

वर्ष (1)	स्थानीय विकास (2)	स्वास्थ्य (3)	शिक्षा (4)	सड़क (5)	पानी (6)	बिजली (7)	पर्यटन (8)	पर्यावरण (9)	रोजगार (10)
1993-1994	0	180000	-	-	120000	-	-	-	औसतन रोजाना 1500 मजदूरों को कार्य पर रखा जाता है.
1994-1995	25,000	180000	-	-	120000	-	-	67650	
1995-1996	0	180000	-	-	120000	-	-	115500	
1996-1997	187,000	180000	-	-	0	2000	-	178893	
1997-1998	52,000	180000	-	1000000	120000	-	-	31556	
1998-1999	17,000	180000	-	8500000	120000	1500000	-	30000	
1999-2000	2,000	180000	-	-	0	-	-	0	
2000-2001	107,600	190000	-	-	0	-	-	21650	
2001-2002	7,380	240000	-	4550000	600000	-	-	0	
2002-2003	2,000	300000	-	3500000	60000	-	-	45000	
2003-2004	85,000	360000	128500	200000	120000	-	-	34500	
2004-2005	52,000	364600		34700000	300000	3000	-	21094	
2005-2006	128,500	455000	-	117550000	120000	-	-	30000	
2006-2007	155,000	690000	8212	-	260000	7500	-	108500	
2007-2008	119,500	240000	-	48600000	280000	-	20000000	0	
योग	**939980**	**4099600**	**136712**	**218600000**	**2340000**	**1512500**	**20000000**	**684343**	

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 571) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क.	पट्टेदार का नाम	खनिज रियायत का प्रकार	खनिज का नाम	स्वीकृत ग्राम का नाम/प. ह. नं.	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री जगत गोंड वास्ते-मेसर्स आई. व्ही. आर. सी. एल. हाल मु. सहसपुर/लोहारा.	अस्थायी अनुज्ञा पत्र	मुरूम	कवर्धा/21	09-04-2007 से 08-04-2008
2.	श्री रामकुमार वास्ते-मेसर्स जी राजा गोपाल राव हाल मु. सहसपुर/लोहारा.	अस्थायी अनुज्ञा पत्र	नि. श्रे. चूना पत्थर	तालपुर/53	22-05-2006 से 21-05-2007
3.	श्री दीपक सिंह वास्ते-मेसर्स आई. व्ही. आर. सी. एल. हाल मु. सहसपुर/लोहारा	अस्थायी अनुज्ञा पत्र	नि. श्रे. चूना पत्थर	तालपुर/53	11-12-2006 से 10-12-2007
4. *	श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, कवर्धा	उत्खनिपट्टा	नि. श्रे. चूना पत्थर	तालपुर/53	30-10-2001 से 29-10-2011

*श्री सतपाल सिंह छाबड़ा को स्वीकृत उत्खनिपट्टा कलेक्टर के आदेश दिनांक 14-06-2007 द्वारा निरस्त किया गया.

प्रपत्र "ब"

माह	खनिज का प्रकार	पट्टेदार का नाम											
		श्री अगत गोंड			श्री रामकुमार			श्री दीपक सिंग			श्री सतपाल सिंह छाबड़ा		
		जारी ट्रांजिट पास की कुल संख्या	जमा कराई गई रायल्टी राशि (रुपये में)	परिवहन किये गये खनिज की मात्रा (घ. मी./टन में)	जारी ट्रांजिट पास की कुल संख्या	जमा कराई गई रायल्टी राशि (रुपये में)	परिवहन किये गये खनिज की मात्रा (घ. मी./टन में)	जारी ट्रांजिट पास की कुल संख्या	जमा कराई गई रायल्टी राशि (रुपये में)	परिवहन किये गये खनिज की मात्रा (घ. मी./टन में)	जारी ट्रांजिट पास की कुल संख्या	जमा कराई गई रायल्टी राशि (रुपये में)	परिवहन किये गये खनिज की मात्रा (घ. मी./टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जन., 07	चू. पत्थर	-	-	-	50	15,000	104 टन	-	-	-	-	10,000	-
	मुरूम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर., 07	चू. पत्थर	-	-	-	-	-	52 टन	-	-	-	25	-	-
	मुरूम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मार्च., 07	चू. पत्थर	-	-	-	-	-	60 टन	50	40,000	750 टन	-	-	40 टन
	मुरूम	50 नग	550 घन मी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल., 07	चू. पत्थर	-	-	-	50	-	100 टन	-	2,00,000	-	-	-	60 टन
	मुरूम	200 नग	2,25,000	3000 घन. मी.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मई., 07	चू. पत्थर	-	-	-	-	-	88 टन	-	-	-	-	-	35 टन
	मुरूम	500 नग	-	7500 घ. मी.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जून., 07	चू. पत्थर	-	-	-	-	-	निरंक	300	-	3000 टन	-	-	निरंक
	मुरूम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 225) के भाग की जानकारी]

दुर्ग जिले में एन. जी. ओ. को वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में प्रदान की गयी अनुदान राशि की जानकारी

क्र. (1)	एन. जी. ओ. का नाम (2)	वर्ष (3)	प्रदाय राशि (4)	संचालित गतिविधि (5)
1.	नारी जागरण समिति, कैलाश नगर, दुर्ग	2005-06 2006-07	11970.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
2.	शक्ति शालिनी महिला सेवा समिति, न्यू खुर्सीपार, भिलाई.	2005-06 2006-07	16000.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
3.	नई किरण महिला एवं बाल विकास समिति, भिलाई.	2005-06 2006-07	16000.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
4.	श्री तुलसी मानस महिला मंडल, भिलाई-3	2005-06 2006-07	14830.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
5.	नया सवेरा महिला मंडल न्यू खुर्सीपार, भिलाई.	2005-06 2006-07	7200.00 10000.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
6.	महिला मंडल रिसाली ग्राम-रिसाली भिलाई.	2005-06 2006-07	16000.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
7.	मंदाकिनी महिला मंडल ग्राम-फागुन्दाह, गुरूर.	2005-06 2006-07	12000.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
8.	बेरोजगार महिला सेवा समिति, न्यू खुर्सीपार, भिलाई.	2005-06 2006-07	16000.00 12500.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
9.	जय प्रज्ञा महिला मंडल, कैम्प-2 इंदिरा नगर, भिलाई.	2005-06 2006-07	निरंक 125000.00	बालवाड़ी संचालन हेतु
10.	जिला साक्षरता समिति, दुर्ग	2005-06 2006-07	161000.00 306020.00	स्वयं सिद्धा योजनान्तर्गत
11.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सिकोलाभांठा, दुर्ग (छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित)	2005-06 2006-07	866594.72 296800.00	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु.

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 437) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	दवा क्रय पर खर्च की गई राशि (रु.)	उपकरण क्रय पर खर्च राशि (रु.)	अन्य सामग्रियो के क्रय पर खर्च राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2005-06	51,06,490	1,05,76,030	13,22,040
2.	2006-07	84,13,913	80,09,722	17,83,007

उपरोक्त क्रय निम्न फर्मों से की गई है :-

1. मे. विष्णु मेडिकल रायगढ़.
2. मे. एस. एस. डी. मेडिकोज रायपुर.
3. मे. छत्तीसगढ़ मेडिकोज रायपुर.
4. मे. एन. निशांत मुंबई.
5. मे. वाणी केयर मेडिकोज गुजरात.